

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ५४ - /कोटा 1995 -96

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री पार्वला स्कूल

संस्थान राजस्थान सरकार जिला-कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 [राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958] के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक २६ माह सितम्बर सन् एक हजार नौ सौ पैंसठवां की कोटा में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएँ-कोटा (राज.)

रजिस्ट्रार
संस्थाएँ कोटा (राजस्थान)